25.02.99 के आदेश के साथ एमएसीपी के लाभ हेतु प्रसार भारती स्पष्टीकरण

05 अक्टूबर 2007 तक के सभी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं एवं एक ही वर्ग में समाहित हैं इसलिए हम अनवरत यह मांग कर रहे हैं कि हेल्पर, डीजल इंजन ड्राईवर, डीजल तक.व मास्ट तक. को अन्य कर्मचारी के समकक्ष मानते हुऐ 25.02.99 के आदेश के साथ एमएसीपी का लाभ भी दिया जाना चाहिए। यह मामला चुनाव के बाद अपर महानिदेशक (अभियांत्रिकी), उत्तरी क्षेत्र के साथ हुई पहली बैठक में ही उठाया जिसमें केन्द्रीय पदाधिकारी–अध्यक्ष, उपा. (आकाशवाणी), उपा० (दूर.), उपा(उ०क्षे०) व उत्तरी क्षेत्र के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। आकाशवाणी महानिदेशालय से पूछताछ की गई और बाद में इस मामले को प्रसार भारती भेजा गया। आरटी ने पत्रांक सं0 आरटी/पी. /185/120/2013 दिनांक 17.12.13 को प्रसार भारती को इस मामले को सुलझाने हेतु भेजा।

आरटी द्वारा लिखे गये पत्र के कृपया कम सं0 1 व 4 को देखें जिसमें कि आदेश में वर्णित प्रतिशतता के आधार पर 25.02.99 का लाभ नही देने के बारे में लिखा है। वही दूसरी ओर ये केडर भी 25.02.99 के आदेश को अपग्रेडेशन मानने के बहाने के कारण एमएसीपी के लाभ सें वंचित थे क्योंकि विभाग 25.02.99 के आदेश को अपग्रेडेशन मानकर एक साथ दो वित्तीय अपग्रेडेशन नही देना चाहता था।

प्रबन्धन को मनाने हेतु लगातार व अनवरत सम्पर्क बनाने क कारण प्रसार भारती ने यह स्पष्टीकरण दिया कि 25.02.99 के आदेश के साथ एमएसीपी के लाभ भी दिये जायें। यह स्वागत योग्य निर्णय है और ऊपर वर्णित सभी केडरों को इससे लाभ होगा। इन केडरों के लिए 25.02.99 के समझोतें के बाद यह सबसे बड़ी सफलता है। अब ये सभी केडर 25.02.99 के आदेश व एमएसीपी का लाभ साथ–साथ लेगें।

एकता ही विजय की कुंजी है।